



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2025/डी-341

दिनांक 19/5/2025

उप महाप्रबंधक (प्रचालन),
पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन, जयपुर टर्मिनल,
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय- जी-9, अली यावर जंग मार्ग,
बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051

विषय:-आई.ओ.सी.एल. की मूँदडा- पानीपत पाइपलाइन (ब्यावर-सांगानेर सेक्शन) के
चैनेज सं. 826.320-827.500 कि.मी. के 18 मीटर क्षेत्राधिकार में इंटरलाकिंग
टाइल से पाइपलाइन आर ओ डब्लू को क्रॉस करने बाबत।
संदर्भ:- आवेदक द्वारा जविप्रा को प्रस्तुत आपका पत्र क्रमांक डब्ल्यू.आर.
पी.एल/जयपुर/826.400/5.01 दिनांक 25.06.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा जयपुर विकास
प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजनाओं में आई.ओ.सी.एल.
पाइपलाइन क्षेत्राधिकार में से इंटरलाकिंग टाल द्वारा क्रॉस रोड के लिए परमिशन शर्तों के
साथ विकासकर्ता को प्रदान की गयी थी। विकासकर्ता द्वारा मौके पर योजना रियासत ईको
पार्क-प्रथम विस्तार में पाइपालन क्रॉसिंग सड़क का निर्माण करवा दिया गया है। जिसके
उपरान्त उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 29 व 276 की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही
की जा रही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त, जोन-14
जयपुर, विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. एवं मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स एण्ड
डवलपर्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालय- रियासत टावर, ख.नं. 688/1, रामपुरा रोड,
स्कॉन मन्दिर के पीछे, सुखिया, एस.एफ.एस. मानसरोवर, जयपुर-302020, राज. का
सूचनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by H. Sant Kumar
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.05.16 12:24:06 IST
Reason: Approved



राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर-302004
दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:
dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2025/डी-1286

दिनांक 16/6/2025

मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि.
एवं मैसर्स गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि.
पंजीकृत कार्यालय- रियासत टॉवर, खसरा नं. 688/1,
रामपुरा रोड, इस्कॉन मन्दिर के पीछे, सुखिया, एस.एफ.एस.
मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।

विषय:-निजी खातेदारी की योजना **रियासत ईको पार्क-प्रथम विस्तार**, ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोराजपुरा एवं ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों में से 9.50 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोराजपुरा एवं ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर, जयपुर के कुल किता 34 कुल रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि पर अनुमोदित आवासीय योजना **"रियासत ईको पार्क-प्रथम विस्तार"** में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखे गये भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण कर 9.50 प्रतिशत क्षेत्रफल को रहन मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस क्रम में लेख है कि उक्त योजना में 9.50 प्रतिशत आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर जविप्रा में रहन रखे गये सम्पूर्ण 12.66 प्रतिशत क्षेत्रफल 5462.53 व.मी. के भूखण्डों में से 09.49 प्रतिशत क्षेत्रफल 4094.17 व.मी. के भूखण्ड संख्या 32, 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 147, 148, 154, 155, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल 34 भूखण्डों को रहन मुक्त कर रहन मुक्ति का अंकन अनुमोदित मानचित्र में कर दिया गया है तथा 03.17 प्रतिशत क्षेत्रफल 1368.36 व.मी. के भूखण्ड संख्या 149, 150, 151, 152, 153, 169 कुल भूखण्ड 06 यथावत रहन में रखे गये है। अतः अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर, विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar
Designation Deputy Commissioner
Date: 2025.06.13 10:41:06 IST
Reason: Approved



राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:
dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

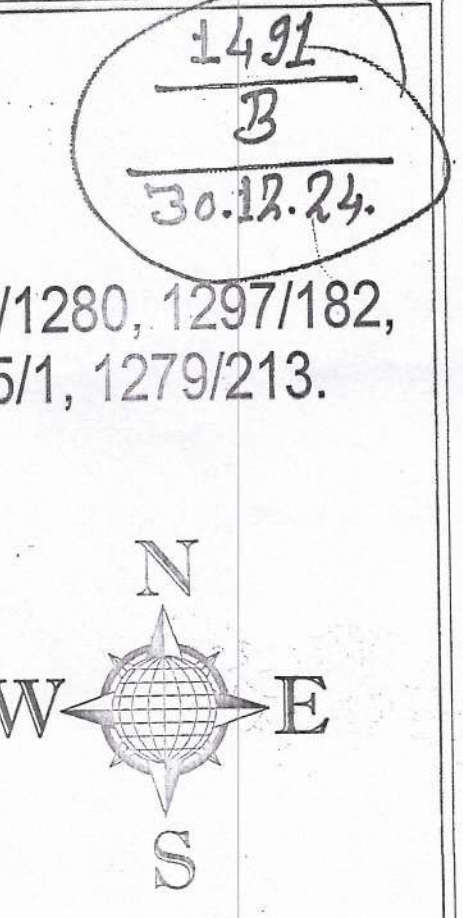
राजस्थान राजधानी अधिनियम 1956/DC-14/90A/103394-06892 के तहत 25.54 हे.मी. अनुसार योजना में आंतरिक विकास कार्य के चयन 12.50% रहने वाले क्षेत्रफल 54.62 हे.मी. (12.66%) में से 9.50% विकास कार्य क्षेत्र होने पर कुल क्षेत्रफल 32,33,34,35,36,37,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,143,144,154,155,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 कुल क्षेत्रफल 34 क्षेत्रफल 4094.17 वर्ग मी. (09.41%) को रहने वाला क्षेत्रफल (जो प्लॉट है) तथा शेष क्षेत्रफल 149,150,151,152,153,161 कुल क्षेत्रफल 06 कुल क्षेत्रफल 1368.36 वर्ग मी. (03.17%) नभाने रहने में रहेगा।

09/06/2025
उप निदेशक
जोन-14

09/06/25
उप निदेशक
जोन-14

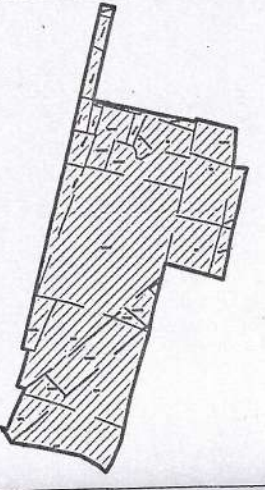
PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT ECO PARK-I EXTENSION"

IN KHASRA NO. :- 180, 181, 1298/182, 1296/1280, 1185/185, 1265/179, 1267/183, 1269/184, 1278/1191, 1295/1280, 1297/182, 185/1, 1277/1191, 1193/220, 220/2, 1271/213, 213/3, 1273/220, 220/3, 265/2, 1274/220, 265/1, 1279/213, 1183/184, 1187/188, 1306/1272, 1370/1189, 1307/1272.
AT VILLAGE :- BASDI JOGIYAN, TEH.-: MADHORAJPURA, JAIPUR.
IN KHASRA NO. :- 1653/762, 763, 772, 1650/764, 1652/771.
AT VILLAGE :- BHATED, TEH.-: SANGANER, JAIPUR.



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक

सर्वेक्षण क्षेत्र 2025 के अनुसार न. उत्तर
अवधि 100 मी. की दिशा में
1. उत्तर उत्तर पूर्व +28
2. उत्तर पूर्व पूर्व +54
3. उत्तर पूर्व पूर्व +53
4. उत्तर पूर्व पूर्व +53

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	38208.61	38.21 %
2.	EWS & LIG	3859.30	03.86 %
3.	RETAIL SHOP	342.00	01.01 %
	PARKING	748.72	
TOTAL = 1+2+3		43158.63	43.16 %
4.	PARK	8353.22	8.35 %
5.	IOCL LINE	6646.89	6.65 %
6.	PUBLIC UTILITY	3641.49	3.64 %
7.	H.T. LINE	6360.95	6.36 %
8.	MOBILE TOWER	46.00	0.05 %
9.	S.W.M.	50.04	0.05 %
10.	P.U. (TOILET)	10.50	0.01 %
11.	ROAD	31732.28	31.73 %
TOTAL = 4 TO 11		56841.37	56.84 %
SCHEME AREA		100000.00	100.00 %

SCHEME AREA 10.00 HECT.

योजना की पूरी की संयुक्त अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मोटे पर भूमि का प्रभावीकरण से द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम उपप्लॉट जोन-14

सी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या विचार की अनुमति में योजना मानचित्र संशोधन कर जारी किया गया।

योजना का नाम :- "RIYASAT ECO PARK-I EXTENSION"

जोन संख्या = 14

दिनांक :- 1/8/2025

सहायक नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT

Cad Max PROJECTS (P) LTD.

301, Third Floor Prime Tower, Front of Police Head Quarter, Laxmi Park Road, Jaipur

Mobile No. 9829045091

(A) RIYASAT ECO PARK-I AREA ANALYSIS :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	48616.34	48.62 %
2.	EWS & LIG	4906.61	04.91 %
3.	RETAIL SHOP	432.00	01.20 %
	PARKING	772.98	
TOTAL = 1+2+3		54727.93	54.73 %
4.	PARK	5001.09	05.00 %
5.	PUBLIC UTILITY	5000.11	5.00 %
6.	FACILITY	1385.13	1.39 %
7.	IOCL LINE	3625.70	3.62 %
8.	ZDP ROAD	142.62	0.14 %
9.	MOBILE TOWER	40.08	0.04 %
10.	S.W.M.	50.00	0.05 %
11.	P.U. (TOILET)	10.02	0.01 %
12.	ROAD	30017.32	30.02 %
TOTAL = 4 TO 12		45272.07	45.27 %
SCHEME AREA		100000.00	100.00 %

(B) RIYASAT ECO PARK-I EXTENSION AREA ANALYSIS :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	38208.61	38.21 %
2.	EWS & LIG	3859.30	03.86 %
3.	RETAIL SHOP	342.00	01.01 %
	PARKING	748.72	
TOTAL = 1+2+3		43158.63	43.16 %
4.	PARK	8353.22	8.35 %
5.	IOCL LINE	6646.89	6.65 %
6.	PUBLIC UTILITY	3641.49	3.64 %
7.	H.T. LINE	6360.95	6.36 %
8.	MOBILE TOWER	46.00	0.05 %
9.	S.W.M.	50.04	0.05 %
10.	P.U. (TOILET)	10.50	0.01 %
11.	ROAD	31732.28	31.73 %
TOTAL = 4 TO 11		56841.37	56.84 %
SCHEME AREA		100000.00	100.00 %

NOTE:-
1. योजना के तहत न. उत्तर की ओर 90 ए की कार्यवाही एवं मोटे पर भूमि का प्रभावीकरण से द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
2. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
3. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
4. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
5. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
6. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
7. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
8. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
9. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
10. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
11. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
12. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
13. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
14. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
15. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
16. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
17. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
18. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
19. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
20. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
21. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
22. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
23. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
24. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
25. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
26. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
27. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
28. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
29. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
30. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
31. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
32. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
33. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
34. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
35. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
36. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
37. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
38. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
39. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
40. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
41. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
42. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
43. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
44. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
45. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
46. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
47. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
48. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
49. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
50. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
51. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
52. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
53. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
54. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
55. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
56. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
57. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
58. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
59. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
60. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
61. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
62. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
63. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
64. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
65. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
66. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
67. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
68. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
69. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
70. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
71. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
72. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
73. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
74. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
75. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
76. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
77. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
78. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
79. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
80. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
81. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
82. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
83. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
84. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
85. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
86. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
87. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
88. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
89. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
90. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
91. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
92. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
93. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
94. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
95. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
96. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
97. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
98. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
99. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
100. योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नोट:-

- राजस्व ग्राममाटेड तह. संगानेर के किता 05 एवं ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोरजपुरा के किता 19 कुल किता 24 कुल रकबा 7.3413 हे.मी. भूमि की 90ए आदेश संख्या JDA/ZONE/DC-14/2023/D-2777 दिनांक 18.12.2023 एवं ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोरजपुरा के कुल किता 05 कुल रकबा 02.00 हे.मी. भूमि की 90ए आदेश संख्या JDA/ZONE/DC-14/2023/D-2778 दिनांक 18.12.2023 एवं ग्राम बासडीजोगियान तह. माधोरजपुरा के कुल किता 05 कुल रकबा 0.6587 हे.मी. भूमि की 90ए आदेश संख्या LU/2012/JDA/2024-25/103394 दिनांक 03.06.2024 अर्थात कुल किता 34 कुल रकबा 10.00 हे.मी. भूमि की 90ए की गयी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.स. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मोटे पर प्रभावीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टरप्लान शाखा अनुसार मास्टरप्लान योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टरप्लान योजना 2025 व जोनल डेवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग यू-2 एच.आई.जेड. दर्शित है।
- योजना रियासत ईको पार्क-प्रथम विस्तार का अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 361वीं बैठक दिनांक 01.08.2024 में किया गया है।
- योजना खसरा नम्बर 181 किता नं. 10, 109 के भूमि को रीनवाटर हावेलिंग हेतु खुले के रूप में रखा गया है।
- योजना में से गुजर रही आई.ओ.सी.एल. लाइन एवं एचटीलाईन के कम में आवेदक को समानुपात में पार्क एवं सुविधा क्षेत्र में नियमानुसार छूट प्रदान की गयी है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्राक्खान नविनि के आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बीपीसी. (एलपी.) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।
- योजना मानचित्र टैजनिंग पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जमिना विनियम 2020 के अनुसार देय होगे।
- आन्तरिक विकास कार्यों की एजेंड में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भू.सं. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 कुल भूखण्ड 40 कुल क्षेत्रफल 5462.53 वर्गमीटर रहने रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा योजना मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

ILR/PATWARI
(ZONE-14)

T.D.R.
(ZONE-14)

D.T.P.
(ZONE-14)

D.C.
(ZONE-14)

S.T.P.
B.P.C.(L.P)

A.C.T.P.
B.P.C.(L.P)

दिश

उत्तर

दक्षिण

पूरव

पश्चिम